न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. SPL/2017

प्रार्थी

1. श्री मीठालाल पुत्र श्री हिमाजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के कायम मुकाम–

1/1– श्री जोराराम पुत्र श्री सांकलाजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1/2– श्री भेराराम पुत्र श्री सांकलाजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2. श्री भेराराम पुत्र श्री सांकलाजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री रमेश कुमार गोदी पुत्र श्री बाबूजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी सं. 02/2021

प्रार्थी

1. श्रीमती पवनीदेवी पुत्र श्री बाबूजी पत्नि श्री छगनलाल जाति घांची निवासी झाडौली हाल भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री रमेश कुमार गोदी पुत्र श्री बाबूजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी श्री [illegible] व अन्य की ओर से
2. श्री, चन्दनसिंह डाबी, [illegible] पवनीदेवी की ओर से।
3. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता अप्रार्थी [illegible]या एक की ओर से।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दिनांक 01.08.2022

निर्णय

संक्षेप में प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री मीठालाल व अन्य एवं प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी ने अलग–अलग निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री रमेश कुमार गोदी पुत्र श्री बाबूजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 003813 दिनांक 27.09.2003 क्षेत्रफल 476 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किए। प्रार्थीगणों के प्रार्थना–पत्र अलग–अलग दर्ज रजिस्टर किए जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक श्री रमेश कुमार गोदी पुत्र श्री बाबूजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा जरिए वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। चूंकि उक्त दोनों निगरानी प्रार्थना पत्र एक ही पट्टे को निरस्त कराने हेतु पेश किए जाने से इन दोनों निगरानी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ इसी निर्णय के माध्यम से किया जाना है। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी श्री मीठालाल व अन्य की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 003813 दिनांक 27.09.2003 क्षेत्रफल 476 वर्गफुट जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या एक श्री हीमाजी के वारिसान है एवं श्री हीमाजी के चार पुत्र श्री सीताराम, श्री सांकलाराम, श्री बाबू व श्री मीठालाल थे। यह है कि श्री हीमाजी के दो अलग–अलग सम्पत्ति थी, जिसमें से एक आवासीय मकान ग्राम झाडौली में कुल 600 वर्गफीट क्षेत्रफल का है एवं दूसरा ग्राम झाडौली में सोनी गली में स्थित आवासीय केलुपोश मकान कुल 924 वर्गफीट क्षेत्रफल का है। यह है कि ग्राम झाडौली में सोनी गली में स्थित परिसर में दो आवासीय केलुपोश मकान पुश्तैनी बने हुए है, जिनका पट्टा बना हुआ नहीं है। यह है कि उक्त केलुपोश मकानों में से एक भाग का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक ने बिना किसी भाईयों के अनापत्ति के पुश्तैनी सम्पत्ति का अपने नाम पट्टा जारी करवा लिया था, जबकि उक्त सम्पत्ति पुश्तैनी होने से हीमाजी के सभी वारिसानों का हक हिस्सा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने संयुक्त परिवार की सम्पत्ति अपनी स्वयं की बताकर गलत रूप से अप्रार्थी संख्या दो से मेल मिलाप कर पट्टा बनवाया, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत से पट्टे व मिसल की नकल मांगी, परन्तु ग्राम पंचायत ने पट्टे की नकल नहीं दी। यह है कि उक्त विवादग्रस्त पट्टे की भूमि पर श्री हीमाजी के अन्य वारिसानों का भी हक हिस्सा था, परन्तु इसे नजर अन्दाज कर अप्रार्थी संख्या एक ने गलत रूप से अप्रार्थी संख्या दो से मेल मिलाप कर पट्टा जारी करवाया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी श्री मीठालाल अविवाहित होने से अप्रार्थी संख्या एक की नियत में खोट आ गई और अप्रार्थी संख्या एक विवादित परिसर में प्रार्थीगण के हक हिस्से को हडपना चाहता है, जिस कारण विवादित परिसर का पट्टा ग्राम पंचायत झाडौली के कर्मचारियों व अधिकारियों से मिली भगत कर प्रार्थीगण के नाम को हटाकर अ[illegible]र प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करने पर आमदा है। अतः श्रीम[illegible]दन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचाय[illegible]क के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 003813 दिनांक 27.09.2003 [illegible] 476 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

संख्या 003813 दिनांक 27.09.2003 क्षेत्रफल 476 वर्गफुट जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थिया स्व. श्री बाबूलाल पुत्र श्री हीमाजी की पुत्री है एवं प्रार्थिया जब दो माह की थी तब ही प्रार्थिया के पिता श्री बाबूजी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात माता श्रीमती सोदी देवी ने प्रार्थिया को पाल पोश कर बडा किया, परन्तु श्रीमती सोदी देवी भी मृत्यु से करीब 15 वर्ष पूर्व तक पूर्ण रूप से अन्धी हो चुकी थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। यह है कि प्रार्थिया की माता की पेंशन बन्द होने से अप्रार्थी संख्या एक उसे चालू करवाने की कहकर उपपंजीयक कार्यालय पिण्डवाडा ले गया और उसका एक गोदनामा बनवा लिया और अपने दस्तावेजों में भी गोदी पुत्र बाबूजी लिखवा दिया परन्तु उसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक श्री बाबूजी के सगे भाई श्री सीताजी का लडका है, जबकि प्रार्थिया की शादी व अन्य व्यवहार भी श्री सांकलाजी के पुत्र श्री जोराराम व श्री भेराराम ने किया था। अतः अप्रार्थी संख्या एक ने गलत आधार पर प्रार्थिया के पुश्तैनी मकान का पट्टा अपने नाम से बनवा लिया, जबकि उक्त मकान में प्रार्थिया का भी आधा हक हिस्सा तो कानूनन गोद सही हो तो भी बनता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक को पुश्तैनी मकान को गिरवाकर नया मकान बनाने की सूचना मिलने पर प्रार्थिया ने थाने में भी रिपोर्ट की थी, परन्तु रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर कोई कार्यवाही करने से मना कर दिया, तब प्रार्थिया को प्रथम बार गोदनामा की जानकारी हुई, जबकि न तो प्रार्थिया के माता–पिता ने कभी अप्रार्थी संख्या एक को गोद लिया है न कभी कोई गोद की रस्म हुई है, फिर भी फर्जी गोदनामा बनाकर प्रार्थिया की सम्पत्ति हडप करने की गरज से कार्यवाही की है, जो गलत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 003813 दिनांक 27.09.2003 क्षेत्रफल 476 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है यह है कि पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि उक्त विवादग्रस्त पट्टा पक्षकारान व अन्य स्व. श्री सांकलारामजी के वारिसान की जानकारी में जारी किया गया है एवं उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड के पश्चिम दिशा में लगता भूखण्ड स्व. श्री सांकलाराम के हक हिस्से व कब्जे की सम्पत्ति है, जिसका उल्लेख अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी किया गया है। यह है कि उक्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति नहीं है एवं सभी पक्षकारान के हक हिस्से की गांव झाडौली में अलग–अलग सम्पत्ति आई हुई है। यह है कि श्री हीमाजी के अन्य सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल कुल 600 वर्गफीट है, उसका पट्टा श्री सीताराम के पक्ष में पट्टा संख्या 174 दिनांक 18.10.1972 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है एवं वह सम्पत्ति पर काबिज है औ[illegible] प्रार्थीगण या अन्य किसी भी वारिसान ने चुनौती नहीं दी है। इस प्रक[illegible]क्षकारान अपने अपने हक हिस्से की सम्पत्ति पर काबिज है। [illegible] अप्रार्थी संख्या एक के मालिकी स्वामित्व एवं कब्जे की स[illegible] अप्रार्थी संख्या एक पक्षकारान व अन्य श्री हीमाजी के वारिसान की जानकारी [illegible] कदीम से काबिज है एवं उक्त सम्पत्ति में अप्रार्थी संख्या एक के नाम विद्युत संबंध व [illegible] संबंध भी ले रखे है। यह है कि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:47 IST
Reason: SelfAttested

Bullo
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

श्री मीठालाल अविवाहित है, जिसके कोई औलाद नहीं है एवं उसके नाम की सभी सम्पत्ति पर शेष तीनों भाई श्री सीताराम, श्री सांकलाराम एवं श्री बाबू के वारिसान का समान रूप से हक हिस्सा आता है, जिसको स्व. श्री सांकलाराम के पुत्र प्रार्थीगण जोराराम व श्री भेराराम हडप करना चाहते है एवं उसी इरादे से अप्रार्थी संख्या एक पर दबाव बनाने के इरादे से उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह है कि प्रार्थीगण द्वारा श्री मीठालाल के वारिसान होने का उल्लेख करते हुए वसीयतनामा दिनांक 16.06.2016 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें उक्त निगरानी में वर्णित सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं है एवं न ही इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में हवाला दिया गया है। यह है कि स्व. श्री सांकलाराम के पुत्र श्री जोराराम व श्री भेराराम अप्रार्थी संख्या एक के पट्टे को येनकेन प्रकारेण खारिज करवाने के इरादे से अप्रार्थी संख्या एक को परेशान करते है एवं प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी को गुमराह कर दो पंचायत निगरानी श्रीमान न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर करवाई। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक श्री रमेश कुमार के प्राकृतिक पिता श्री सीताराम ने प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी को अपनी पुत्री के समान माना तथा प्रार्थिया व उसकी माता सोदीदेवी के सार संभाल व सारा खर्चा वहन किया एवं श्रीमती सोदीदेवी की भी सार संभाल श्री सीतारामजी ही करते थे, इससे श्रीमती सोदीदेवी प्रभावित होकर अपने वंश को आगे चलाने के उद्देश्य से अप्रार्थी संख्या एक को गोद लिया था एवं उसका नियमानुसार गोदनामा भी उपपंजीयक कार्यालय पिण्डवाडा में उपस्थित होकर निष्पादित करवाया गया था। तब से अप्रार्थी संख्या एक बतौर गोदीपुत्र बाबूजी का पुत्र कहलाता है एवं स्व. श्री बाबूजी के परिवार के सारे रिश्ते निभाता चला आ रहा है एवं प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी के भी विवाह तथा उसके पश्चात के सारे रश्म रिवाज अप्रार्थी संख्या एक व उसके पिता श्री सीतारामजी ने ही वहन किया है। यह है कि प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी को विवाह के समय अप्रार्थी संख्या एक व उसके पिता श्री सीताराम ने स्त्रीधन के रूप में रकम, जेवरात व घर गृहस्थी का सामान दे दिया था। अब प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी श्री सांकलाराम के पुत्र श्री जोरारा व श्री भेराराम के सिखावट में आकर उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणों द्वारा उक्त दोनों निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या एक को हैरान-परेशान करने की नियत से पेश किए गए है, जिन्हें खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :- अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 003813 दिनांक 27.09.2003 क्षेत्रफल 476 वर्गफुट जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-

157.-पुराने गृहों का विनियमितिकरण- जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के [illegible] वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मि[illegible] को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व [illegible] वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के हक में नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक श्री हीमाजी के वारिसान है एवं श्री हीमाजी के चार पुत्र श्री सीताराम, श्री सांकलाराम, श्री बाबू एवं श्री मीठालाल थे। श्री हीमाजी के ग्राम झाडौली में दो सम्पत्ति थी, जिनमें प्रथम सम्पत्ति का क्षेत्रफल 600 वर्गफीट था एवं दूसरी सम्पत्ति जो ग्राम झाडौली में सोनी गली में स्थित आवासीय केलुपोश मकान जिसका क्षेत्रफल 924 वर्गफीट है, जो दो भागों में बना हुआ है। यह है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि श्री हीमाजी की प्रथम सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफीट है, उक्त सम्पत्ति पर श्री सीताराम काबिज है एवं उसी के नाम से पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यह है कि श्री हीमाजी के दूसरी सम्पत्ति जो ग्राम झाडौली के सोनी गली में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 924 वर्गफीट है, उसमें से 476 वर्गफीट क्षेत्रफल का पट्टा ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के नाम से जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति के शेष भाग पर श्री हीमाजी का अन्य पुत्र श्री सांकलाराम काबिज है। इस सम्बन्ध में उक्त विवादग्रस्त पट्टे में अंकित चतुर्दशी का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादग्रस्त पट्टे के पश्चिम भाग में श्री सांकलाराम पुत्र श्री हकमाजी अंकित है। अतः अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। यह है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ताओं के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति उनकी पुश्तैनी श्री हीमाजी की सम्पत्ति है, परन्तु श्री हीमाजी के द्वारा अपने पुत्रों के मध्य किसी भी प्रकार बंटवाड किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह है कि उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री मीठालाल व अन्य के द्वारा एक वाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 02 में प्रस्तुत किया, परन्तु उक्त वाद को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा Note Press किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री मीठालाल द्वारा दिनांक 16.09.2016 को श्री जोराराम व श्री भेराराम पुत्र श्री सांकलाजी के पक्ष में वसीयतनामा लिखा था, परन्तु उक्त वसीयतनामा पर उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति का अंकन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती सोदीदेवी के द्वारा ही उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति का अप्रार्थी संख्या एक के हक में दिनांक 19.04.2005 को वसीयतनामा लिखा हुआ है, चूंकि उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्तागणों के द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः उक्त सम्पत्ति में प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी के पिता श्री बाबूजी की मृत्यु पश्चात श्रीमती सोदीदेवी एवं प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी का बराबर हक हिस्सा बनता है, परन्तु श्रीमती सोदीदेवी ने अकेले ही सम्पूर्ण विवादग्रस्त सम्पत्ति का वसीयतनामा अप्रार्थी संख्या एक के हक में लिखा हुआ है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। यह है कि प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी के द्वारा अपना हिस्सा त्याग करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी के द्वारा अपना स्वयं का हक त्याग किए बिना श्रीमती सोदीदेवी को अपने हक हिस्से का ही वसीयतनामा अप्रार्थी संख्या एक के हक में लिखने का अधि[illegible] परन्तु उनके द्वारा प्रार्थिया श्रीमती पवनीदेवी एवं स्वयं के हिस्से [illegible] हिस्से का वसीयतनामा अप्रार्थी संख्या एक के हक में लिखा [illegible] आधार पर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा उक्त विवादग्रस्त [illegible] है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री रमेश कुमार गोदी पुत्र श्री बाबूजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 003813 दिनांक 27.09.2003 क्षेत्रफल 476 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है। निर्णय की मूल प्रति प्रकरण संख्या SPL/2017 में रखी जाकर उक्त निर्णय की सत्य प्रति प्रकरण संख्या 02/2021 में रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner